सीएसआईआर - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी
333031, राजस्थान (भारत)

सं. : प्र अ/विविध/ 2020 दिनांक 01.10.2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : सीएसआईआर-सीरी में समय की पाबंदी और अनुशासन बनाए रखने के लिए "मुखाकृति पहचान उपस्थिति प्रणाली (Face Recognition Attendance System - FRAS)" का क्रियान्वयन।

संस्थान में समय की पाबंदी तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए **मुखाकृति पहचान उपस्थिति प्रणाली** (Face Recognition Attendance System - (FRAS)) के माध्यम से सभी कर्मचारियों की उपस्थिति को दर्ज किया जाना है। इस संबंध में निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने निम्नलिखित अनुदेशों का सहर्ष अनुमोदन किया है :

1. सीएसआईआर-सीरी के सभी कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए "मुखाकृति पहचान उपस्थिति प्रणाली (FRAS)" को लागू किया जाएगा ।

2. इस उपस्थिति प्रणाली से किसी भी कर्मचारी को छूट नहीं दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी किसी भी कारण से किसी कार्य दिवस पर FRAS द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करता/करती है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा तथा ऐसे मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा। छुट्टी/अनुपस्थिति की अवधि पर संबंधित प्रशासनिक अनुभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

3. सभी नियमित कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु FRAS संस्थान के विभिन्न स्थानों पर लगाई गई हैं। अतः निर्धारित तिथि के बाद सभी कार्मिकों के लिए संस्थान में अंदर आते समय या संस्थान से बाहर जाते समय प्रत्येक अवसर पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा।

4. सभी कर्मचारियों को प्रत्येक सप्ताह (पाँच कार्य दिवस) में कुल 40 कार्य घंटे (मध्याहन भोजन का एक घण्टे का समय छोड़कर) पूर्ण करने होंगे। सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने के समय अंदर आने तथा कार्यालय से बाहर जाने के लिए अपने-अपने निर्धारित समय में एक-एक घंटे की अनुग्रह समय सीमा (Cushion time bracket) निम्नानुसार दी जाएगी:

   - **प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक**
   - **सांय 5:30 से 6:30 बजे तक**

5. यदि कोई कर्मचारी सप्ताह में 40 कार्य घंटे की कार्य अवधि पूर्ण नहीं करता है तो प्रत्येक 4 घंटे तक की कम अवधि के लिए आधे दिन के आकस्मिक अवकाश की कटौती की जाएगी, अर्थात यदि किसी कर्मचारी की एक सप्ताह की कुल उपस्थिति अवधि 36 घंटे होती है तो आधे दिन के आकस्मिक अवकाश की कटौती की जाएगी तथा यदि साप्ताहिक उपस्थिति यदि कोई अवधि 33 घंटे की होती है तो पूरे दिन के आकस्मिक अवकाश की कटौती की जाएगी। यदि संबंधित कर्मचारी के पास आकस्मिक अवकाश शेष नहीं है तो अर्जित अवकाश की कटौती की जाएगी।

6. यदि कर्मचारी प्रातः 8:30 बजे से पूर्व या सायं 6:30 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं तो वे संबंधित समूह प्रमुखों/अनुभागाध्यक्षों की अनुमति से ऐसा कर सकेंगे।

7. छुट्टियों की कटौती के लिए FRAS में कर्मचारियों की मासिक उपस्थिति रिपोर्ट/रिकॉर्ड की देखरेख स्थापना अनुभाग II द्वारा की जाएगी। परियोजना कर्मियों के वेतन और छुट्टियों के समायोजन (adjustment) आदि के लिए उपस्थिति रिपोर्ट की देखरेख बिल अनुभाग द्वारा की जाएगी।

सभी समूह प्रमुख/ अनुभागाध्यक्ष कृपया उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

यह आदेश 5 अक्टूबर, 2020 से लागू होगा।

01/10/2020

(विनोद कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :

i) निदेशक / प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव
ii) सभी अनुभागाध्यक्ष / प्रभागाध्यक्ष
iii) प्रभारी, नेटवर्क प्रबंध प्रकोष्ठ - इस कार्यालय ज्ञापन को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
iv) सभी सूचना पट्ट